

भारतीय और व्यापिक

भारत


INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 892844

१५ नरेन्द्र नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाना वाला शपथपत्र।

मैं जोम ओपाल राम पुत्र श्री चन्दन सिंह आयु ३६ वर्ष जो ग्राम झागर पट्टी अमनदस्ग दो उत्तराखण्ड का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/ शपथपत्र पर निम्नलिखित कथन करत हूँ—



कि मैं किसी ऐसे लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किये गये हैं।

मझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951) (1951 का 43) की धारा 8 की उप धारा (1) या उप धारा (2) में निर्दिष्ट या उप धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्ध नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है।

नई दिल्ली
जारी करने का:

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की अन्त्यवस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्पर्य बात छिपाई नहीं गई है।

नई दिल्ली

स्थान पर आज तारीख 11-01-12

को सत्यापित किया।

Statement attested by deponent
Shri Bijendra Prasad Panigrahi
R/o Agarwal Patna 110005
on 11-1-12
Bijendra Prasad Panigrahi
Advocate

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

11-1-12

(नियम 4 के देखिए)

11 नरेन्द्र नगर (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र ।

मैं, उमा भौपाल शवत...पुत्र / पुत्री, मर्त्ती घटना सिंह शवत आयु..... ३६ वर्ष, जो झास-झागर पट्टी इमादस्थ प्लॉडो झागर वाले २०५० का / की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ / शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ : -

1. कि मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारबास ८८ इण्डनॉर्ड मेंसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं ।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी) : लाइन

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं ०.....लाइन
- (ii) पुलिस थाना (थाने) ०.....लाइन जिला (जिले) ०.....लाइन
- (iii) राज्य ०.....लाइन
- (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है ०.....लाइन
- (v) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई ०.....लाइन
- (vi) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गए थे ०.....लाइन
- वया सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है ०.....लाइन

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951) (1951 का 43) की धारा-8 की उप धारा (1)या उप धारा (2) में निर्दिष्ट या उप धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से अधिक विवरण जिसके लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारबास दण्डादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है ।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) : लाइन

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं ०.....लाइन
- (ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है ०.....लाइन
- (iii) पुलिस थाना (थाने) ०.....लाइन जिला (जिले) ०.....लाइन
- (iv) राज्य ०.....लाइन
- (v) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है ०.....लाइन
- (vi) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे ०.....लाइन
- वया दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं ०.....लाइन

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

संकेतक : नई दिल्ली
तारीख : 11-01-2012

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग पिछले